



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2010/चैत्र 19, 1932

No. 93]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2010/CHAITRA 19, 1932

वस्त्र मंत्रालय

(वस्त्र आयुक्त का कार्यालय)

हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना (संशोधन)

मुम्बई, 31 मार्च, 2010

सं. 1/1/प्रवर्तन/2010/64.—वस्त्र (विकास एवं विनियम) आदेश, 2001 के खंड 3, 8 एवं 11 जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी किया गया है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मौजूदा हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना संख्या 2/टीडीआरओ/8/2003, दिनांक 17-4-2003 में निम्नानुसार संशोधन करता हूँ :—

| क्रम सं. | हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना संख्या 2/टीडीआरओ/8/2003 दिनांक 17-4-2003 के मौजूदा पैरा जिसमें संशोधन किया जाना है | मौजूदा उपबंध | प्रस्तावित संशोधन |
|----------|---|--|--|
| 1. | भाग-II, पैरा 6(1) | उपबंधित करता है कि हैंक रूप में पैक किया जाने वाले यार्न का कम से कम 80 प्रतिशत 40 एवं उससे कम काउन्ट का होगा। | उपबंधित करता है कि हैंक रूप में पैक किया जाने वाले यार्न का कम से कम 80 प्रतिशत 80 एवं उससे कम काउन्ट का होगा। |

तदनुसार फार्म "ए" हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना 2003, के साथ संलग्न फार्म 'ए' के परिशिष्ट I एवं परिशिष्ट II में संशोधन किया गया है।

हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना संख्या 2/टीडीआरओ/8/2003, दिनांक 17-4-2003 की अन्य शर्तों एवं विनिर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2010 से लागू होगी।

ए. बी. जोशी, वस्त्र आयुक्त

फार्म 'ए'

[हैक यार्न अधिसूचना 2003 के खंड 6(2) के अंतर्गत]

हैक यार्न के बाहर से रीलिंग का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि तिमाही के दौरान मैमर्स द्वारा उत्पादित यार्न की निम्नोक्त मात्रा मैमर्स द्वारा स्थित (पूरा पता) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के दिनांक के पत्र सं. (प्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त समुचित अनुमति के साथ तथा वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के दिनांक के पत्र सं. के तहत रील की गई है।

| अनु. क्र. | हैक फार्म में रीलिंग के उद्देश्य से बाहर भेजा गया यार्न | | | | स्तंभ 5 में उल्लिखित यार्न में से हैक फार्म में पैक की गई यार्न की मात्रा | | |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------|-----|---|-------------------------|-----|
| | यार्न की श्रेणी/ प्रकार | 80 और उससे कम काउंट में | 80 से अधिक काउंट में | योग | 80 और उससे कम काउंट में | 80 से अधिक काउंट में | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | कोन | | | | | | |
| 2. | चीज | | | | | | |
| 3. | कोप्स | | | | | | |

जिन मिलों ने यार्न का उत्पादन किया है, उनके (प्रोप्राइटर/भागीदार/निदेशक/प्रबंध निदेशक) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं तिथि कंपनी/फर्म की मुहर। उस रीलिंग इकाई के जिसने अन्य प्रकार का यार्न हैक फार्म में रील किया है उनके प्रोप्राइटर/भागीदार/निदेशक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं तिथि कंपनी/फर्म की मुहर।

(चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट जैसा भी मामला हो, के दिनांक, मुहर तथा पंजीयन सं. के साथ हस्ताक्षर)

परिशिष्ट-I

त्रैमासिक हैक यार्न पैकिंग विवरणी

(दिनांक 17 अप्रैल, 2003 की हैक यार्न अधिसूचना 2003 सं. 2/टीबीआरओ/82003 के खंड 5 के अधीन)

टिप्पणी : परिशिष्ट-I वस्त्र आयुक्त के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक त्रैमासिक अवधि की समाप्ति के दूसरे माह की 10 तारीख तक अथवा उससे पहले जमा किया जाए।

भाग (00) अभिज्ञान ब्यौरे

(4 से 10)

1. मिल की क्र सं.
2. मिल का नाम तथा पता
3. क्या कताई अथवा कंपोजिट इकाई है
(बॉक्स में कताई के लिए 1 तथा कंपोजिट के लिए 2 लिखें)
4. प्रबंधन का स्वरूप
(बॉक्स में एन.टी.सी. के लिए-1, एस.टी.सी. के लिए-2, सहकारिता के लिए-3, निजी/अन्य के लिए-4 लिखें)
5. तक समाप्त अवधि से संबंधित विवरणी

| प्रपत्र संख्या | | |
|----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Q | 0 | 3 |

| 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

भाग (01) हैक यार्न पैकिंग अधिसूचना-2003 के क्षेत्र के बाहर उत्पादन/पैक किए गये यार्न का विवरण (अनिवार्य किस्में) कि.ग्रा. में

| मद | होजियरी सिलाई का धागा | औद्योगिक मिश्रित यार्न | कॉप बाटम से रील किया गया यार्न | भारत से बाहर निर्यातित पूर्ण रूई से कता यार्न (सहायक कागजात रखे जाएं) | माने गए (डोम्ड) निर्यात के लिए वितरित पूर्ण रूई से कता यार्न (निर्यात व आयात नीती में दी परिभाषा के अनुसार) | उनकी कैपटीव खपत के लिए पूर्ण रूई से कता यार्न (सहायक कागजात रखे जाएं) | पूर्ण रूई अलावा कता यार्न | पैक किए गए यार्न के अन्य अबाध्यकारी प्रजा-तिगत नामों के साथ | योग (स्तंभ क्र. 1 से 9) | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|---|---|---|---------------------------|---|-------------------------|---------|----|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | |
| (15-20) | 6 | (21-27) | 7 | (28-34) | 7 | (35-41) | 7 | (42-48) | 7 | (49-55) | 7 | (56-62) | 7 | (63-69) | 7 | (70-76) | 7 | (77-83) | 7 | (84-90) | 7 |

भाग (02) जन उपयोग के लिए पैक किया गया यार्न (अनिवार्य किस्में)

| पैकिंग का प्रकार/विवरण | मद सं. | पूर्ण रुई से युक्त यार्न | | |
|--|---|--|-------------------|---|
| | | 80 काउन्ट और कम | 80 से अधिक काउन्ट | योग (1+2) |
| (0) | (00) | 1 | 2 | 3 |
| (0) | (15-20)6 | (21-27)7 | (28-34)7 | (35-41)7 |
| (क) हैंक (बाहर से हैंक रूप में रील किए गए यार्न सहित) | 020101 | | | |
| (ख) कोन | 020201 | | | |
| (ग) पर्न | 020202 | | | |
| (घ) बीम | 020203 | | | |
| (च) अन्य | 020204 | | | |
| (छ) जन उपयोग के लिए हैंक रूप में पैक किया गया यार्न के अलावा यार्न की कुल मात्रा (ख + ग + घ + च) | 020300 (020201+ 020202+ 020203+ 020204) | | | |
| (ज) जन उपयोग के लिए पैक किया गया यार्न के अलावा यार्न की कुल मात्रा (क + छ) | 020400 (02001+ 020300) | | | |
| (झ) हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता (हैं.या.पै.बा.) | 020501 | स्तंभ सं. 3 के (झ) का 80%=ए (स्तंभ 3 के मद सं. 020501 का 80%) | | स्तंभ 3 के (ज) का 40% = बी (मद सं. 020400 के स्तंभ सं. 3 का 40%) |
| (ट) स्वयं की हैंक यार्न पैकिंग में हुई कमी (झ + क) | 020601 (020501-020101) | ए-स्तंभ सं. 1 का (क) | | बी-स्तंभ सं. 3 का (क) |
| (ठ) स्वयं की हैंक यार्न पैकिंग में आधिक्य (क + झ) | 020701 (020701) 020101- 020501) | क-स्तंभ सं. 1 का (ए) | | स्तंभ सं. 3 का (क)-बी |

खंड (03) हैंक यार्न का भंडारण

| माह | बिक्री न किया गया माल | | बिक्री किया गया किन्तु उठाया न गया भंडार | | | कुल भंडार (2 + 3) |
|-----|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|
| (1) | (2) | | (3) | | | (4) |
| | 80s तथा उससे कम काउंट | 80s से अधिक काउंट | कुल | 80s तथा उससे कम काउंट | 80s से अधिक काउंट | कुल |

(क)
तिमाही के
पहले माह
के अंतिम
दिन भंडार

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|--|-----|-----|-----|
| (ख) | | | |
| तिमाही के दूसरे माह के अंतिम दिन भंडार | | | |
| (ग) | | | |
| तिमाही के तीसरे माह के अंतिम दिन भंडार | | | |

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त ब्यौरे सही एवं यथार्थ है। हैं.या.पै.बा. की पूर्ति के लिए परिशिष्ट-II वस्त्र आयुक्त के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक त्रैमासिक अवधि, जिसके लिए परिशिष्ट-I जमा किया गया है, की समाप्ति के दूसरे माह की समाप्ति के तक जमा किया जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सत्यापित किए गए हैं तथा मेरी (मिल के प्रबंधक) जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही एवं यथार्थ हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सत्यापित किए गए हैं तथा मेरी (चा.अ.) जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही एवं यथार्थ हैं।

मिल के प्रोप्रायटर/भागोदार/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं तिथि

चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा कॉस्ट अकाउंटेंट के हस्ताक्षर एवं तिथि

(मिल का नाम एवं मुहर)

(नाम एवं पंजीयन संख्या सहित)

परिशिष्ट-II

हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता (हैं.या.पै.बा.) अंतरण के लिए आवेदन

[दिनांक 17-4-2003 की अधिसूचना सं. 2/टीडीआरओ/8/2003 के खंड 6(2) के अंतर्गत]

टिप्पणी : अंतरितक मिल (मिलों) द्वारा परिशिष्ट-II वस्त्र आयुक्त के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को संबंधित त्रैमासिक अवधि की समाप्ति के दूसरे माह के अंत तक जमा किया जाए।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी
वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय

महोदय,

दिनांक 17-4-2003 की हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना सं. 2/टीडीआरओ/8/2003 के अंतर्गत त्रैमासिक अवधि के दौरान जन उपयोग के लिए हम (अंतरितक)से हैंक रूप में (हैं. या पै.बा.) कि.ग्रा. अपेक्षित था। जबकि हमने कि.ग्रा. यार्न हैंक रूप में पैक किया तथा अन्य अंतरितक मिल (मिलों) का कि.ग्रा. हैं.या.पै.बा. पहले ही स्थानांतरित किया है। अब हम अंतरितक की त्रैमासिक अवधि के लिए हैं.या.पै.बा. पूरी करने के लिए कि.ग्रा. की कमी आई है। अतः हमने अंतरितक मिल (मिलों) मैसर्स जिनके पास त्रैमासिक अवधि के लिए स्वयं की हैं.या.पै.बा. की पूर्ति के बाद पैकिंग का आधिक्य था, के साथ सम्पर्क किया। हमने अंतरितक मिल (मिलों) से इस बात की पुष्टि भी की है कि उन्होंने वर्तमान त्रैमासिक अवधि के लिए परिशिष्ट II वस्त्र आयुक्त के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को हैं या.पै.बा. 2003 में विनिर्दिष्ट नियत तिथि के भीतर जमा किया है। अंतरितक मिल (मिलों) द्वारा हैं.या.पै.बा. के अंतरण का विवरण तथा अंतरितक मिल (मिलों) की अतिरिक्त हैं.या.पै.बा. का विवरण निम्नानुसार है :

1. अंतरिती मिल की क्रम सं.

(कि. ग्रा. में)

| क्र. सं. | मद सं. | अंतरितक मिल का विवरण मैसर्स | पूर्ण रूई यार्न | 80 काउंट एवं कम (कालम 2 के मामले में) |
|----------|--------|--|-----------------|--|
| 0 | 00 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 010101 | कुल हैं.या.पै.बा. | | |
| 2 | 010201 | पैक हैंक यार्न स्वयं की पैकिंग द्वारा बाहर से रील किए यार्न सहित | | |
| 3 | 010202 | हैं.या.पै.बा. की अब तक की स्थानांतरित मात्रा | | |
| 4 | 010203 | योग क्र. सं. 2+3 | | |
| 5 | 010301 | हैं.या.पै.बा. की अब स्थानांतरित होने वाली मात्रा | | |
| 6 | 010401 | हैं.या.पै.बा. में कुल कमी, आदि कोई क्र. सं. [1-(4+5)] | | |

2. अंतरिती मिल क्रम सं.

(कि. ग्रा. में)

| क्र. सं. | मद सं. | अंतरिती मिल का विवरण मैसर्स | पूर्ण रूई यार्न | 80 काउंट एवं कम (कालम 2 के मामले में) |
|----------|--------|--|-----------------|--|
| 0 | 00 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 020101 | कुल हैं.या.पै.बा. | | |
| 2 | 020201 | पैक हैंक यार्न (स्वयं की पैकिंग द्वारा बाहर से रील किए यार्न सहित) | | |
| 3 | 020301 | कुल अधिक पैक हैंक यार्न क्र. सं. (2-1) | | |
| 4 | 020401 | अब तक ली गई मिल (मिलों)/उत्पादक (उत्पादकों) की हैं या. पै.बा. | | |
| 5 | 020501 | अब ली गई उपरोक्त अंतरित मिल (मिलों) की हैं या. पै.बा. | | |
| 6 | 020601 | पैक हैंक यार्न का बचा (शेष) यदि कुछ हो क्र. सं. [3-(4+5)] | | |

हम अंतरिती मिलों ने त्रैमासिक अवधि के लिए परिशिष्ट-1 वस्त्र आयुक्त के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को हैं. या. अ.-2003 में विनिर्दिष्ट नियत तिथि के भीतर जमा किया है।

हम अंतरितक एवं अंतरिती मिल उपरोक्त व्यवस्था से सहमत हैं या अनुरोध है कि कृपया हमें उपरोक्त अंतरितक मिल की उपरोक्त हैं या. पै.बा. के अंतरण के लिए पंजीकरण पत्र जारी करें। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि जहां तक हमें ज्ञान है एवं विश्वास है, उपरोक्त प्रस्तुत ब्योरे सही एवं यथार्थ हैं। हम पूर्ण रूप से जानते हैं कि यदि ऊपर दी कोई भी जानकारी किसी भी समय गलत पाई गई तो वस्त्र आयुक्त के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण पत्र वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा हमारे विरुद्ध अलग-अलग अथवा संयुक्त रूप से कार्रवाई के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह के रद्द समझा जाएगा।

सधन्यवाद,

भवदीय

चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र

हम प्रमाणित करते हैं कि अंतरितक एवं अंतरिती एवं प्रस्तुत की गई उपरोक्त जानकारी केन्द्रीय उत्पाद के दस्तावेजों एवं उनके द्वारा अन्य रखे गए संबंधित रिकार्डों के मेल में है।

अंतरिती मिल के चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के तिथि सहित हस्ताक्षर (नाम एवं पंजीयन संख्या सहित)

अंतरितक मिल के चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के तिथि सहित हस्ताक्षर (नाम एवं पंजीयन संख्या सहित)

1336 48/10-2

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Textile Commissioner)

HANK YARN PACKING NOTIFICATION (AMENDMENT)

Mumbai, the 31st March, 2010

No. 04/TDRO/8/2010.—In exercise of the powers conferred on me under clause 3, 8 and 11 of the Textile (Development and Regulation) Order, 2001, issued under Section 3 of Essential Commodities Act, 1955, I hereby amend the existing Hank Yarn Packing Notification No. 2/TDRO/8/2003 dated 17-4-2003, as under :—

| Sr. No. | Existing Para of Hank Yarn packing Notification No. 2/TDRO/8/2003 dt. 17-4-2003 which is to be amended. | Existing Provisions | Proposed amendment |
|---------|---|--|--|
| 1. | PART-II, Para 6(1) | Provided that not less than eighty per cent of the yarn required to be packed in hank form shall be of counts 40s and below. | Provided that not less than eighty per cent of the yarn required to be packed in hank form shall be of counts 80s and below. |

Form 'A', Annexure-I and Annexure-II, appended to Hank Yarn Packing Notification, 2003, are amended accordingly (copy enclosed).

All other terms and conditions mentioned in the Hank Yarn Packing Notification No. 2/TDRO/8/2003 dated 17-4-2003 will remain unchanged.

This notification shall come into force w.e.f. the first of April, 2010.

A. B. JOSHI, Textile Commissioner

FORM-A

[Under clause 6(2) of HYN 2003]

CERTIFICATE OF REELING OF HANK YARN FROM OUTSIDE

"Certificate that the following quantity of yarn produced by M/s during the quarterly period has been got reeled into hank form through M/s located at (full address) with the due permission of the Central Excise Department vide letter No. dated (copy enclosed), and the regional Office of the Textile Commissioner, vide letter No. dated"

(Quantity in Kg.)

| Sr. No. | Yarn sent outside for the purpose of Reeling into Hank form | | | Quantity of yarn packed in Hank form out of the Yarn mentioned at Col. No. 5 | | | |
|---------|---|-------------------------|---------------------|--|-------------------------|---------------------|-------|
| | Category/form of yarn | In counts 80s and below | In counts above 80s | Total | In counts 80s and below | In counts above 80s | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Cone | | | | | | |
| 2. | Cheese | | | | | | |
| 3. | Cops | | | | | | |

(Signature of the Proprietor/Partner/
Director/Managing Director/
Authorised Signatory of the
mills who produce yarn, with date)

Seal of the Company/Firm

(Signature of the Proprietor/Partner/
Director/Managing Director/
Authorised Signatory of the
reeling unit who reeled the other
form of yarn into hank form, with date)

Seal of the Company/Firm

(Signature with date, seal and
Enrolment No. of the Chartered Accountant/
Cost Accountant, as the case may be)

ANNEXURE-I

QUARTERLY HANK YARN PACKING RETURN

(Under clause 5 of HYN 2003, No. 2/TDRO/8/2003, dated 17th April, 2003)

Note : The Annexure-I, is to be submitted to the jurisdictional Regional Office of the Textile Commissioner so as to reach the said offices on or before the 10th of the Second month after the expiry of the concerned quarterly period.

Part (00) Identification particulars

(4-10)

1. Mill's Serial No. _____

2. Mill's Name and Address _____

3. Whether Spg. or Composite Unit
(Write 1 for Spg. and 2 for Composite in the box)

| Form No. | | |
|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Q | 0 | 3 |

4. Nature of Management
(Write 1 for NTC, 2 for STC, 3 for Co-op. and 4 Pvt./Others in the box)

5. Quarterly return pertaining to the period ending on

| 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

Part (01) Packing details of non-obligatory varieties of yarn and yarn exempted from/not falling within the purview of Hank Yarn Packing Notification-2003

(in Kgs.)

| Item | Hosiery Yarn (Supporting documents should be maintained) | Sewing thread | Industrial Mixed yarn | Yarn reeled off from cop bottoms | Yarn spun wholly from cotton exported out of India (supporting documents should be maintained) | Yarn spun wholly from cotton delivered as deemed exports (as defined in Export and Import Policy) | Yarn spun wholly from Cotton used for captive consumption (supporting documents should be maintained) | Yarn spun from other than wholly cotton | Other non-obligatory variety of yarn packed (with generic name) | Total (Col. Nos. 1 to 9) |
|----------|--|---------------|-----------------------|----------------------------------|--|---|---|---|---|--------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (15-20)6 | (21-27)7 | (28-34)7 | (35-41)7 | (42-48)7 | (49-55)7 | (56-62)7 | (63-69)7 | (70-76)7 | (77-83)7 | (84-90)7 |
| 010101 | | | | | | | | | | |

Part (02) Yarn Packed for Civil Consumption (Obligatory Varieties form Q 03

| Description/Form of Packing | Item No. | Wholly Cotton Yarn | | |
|---|---|----------------------|------------------|-------------|
| | | Counts 80s and below | Counts Above 80s | Total (1+2) |
| | | 0 | 1 | 2 |
| (0) | (15-20)6 | (21-27)7 | (28-34)7 | (35-41)7 |
| (a) HANK (Including yarn reeled into hank form from outside reelers) | 020101 | | | |
| (b) CONE | 020201 | | | |
| (c) PIRNS | 020202 | | | |
| (d) BEAM | 020203 | | | |
| (e) OTHERS | 020204 | | | |
| (f) Total quantity of yarn, other than in hank form, packed for civil consumption (b+c+d+e) | 020300 (020201+020202+ 020203+020204) | | | |

133648)0-3

I. Mill Serial No. of Transferor :

(In Kgs.)

| Sl. No. | Item No. | Particulars of transferor mill M/s. | Wholly Cotton Yarn | Counts 80s & below (In case of Column 2.) |
|---------|----------|---|--------------------|--|
| 0 | 00 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | 010101 | Total H.Y.P.O. | | |
| 2. | 010201 | (i) Hank yarn packed (by own packing including yarn reeled from outside reeler) | | |
| 3. | 010202 | (ii) Quantity of H.Y.P.O. transferred so far | | |
| 4. | 010203 | (iii) Total of (i) + (ii) | | |
| 5. | 010301 | Quantity of H.Y.P.O. now being transferred | | |
| 6. | 010401 | Net further shortfall of H.Y.P.O. if any, Sr. No. [1-(4+5)] | | |

II. Mill Serial No. of Transferee :

(In Kgs.)

| Sl. No. | Item No. | Particulars of transferor mill M/s. | Wholly Cotton Yarn | Counts 80s & below (In case of Column 2.) |
|---------|----------|---|--------------------|--|
| 0 | 00 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | 020101 | Total H.Y.P.O. | | |
| 2. | 020201 | (i) Hank yarn packed (by own packing including yarn reeled from outside reeler) | | |
| 3. | 020301 | Excess hank yarn packed Sr. No. (2-1) | | |
| 4. | 020401 | H.Y.P.O. of other mill(s)/producer(s) so far undertaken | | |
| 5. | 020501 | H.Y.P.O. of above transferor mill(s) now being | | |
| 6. | 020601 | Remaining (balance) excess, hank yarn packed, if any Sr. No. [3-(4+5)] | | |

We, the transferee mills have submitted Annexure-I for the current quarter to our jurisdictional Regional Office of the Textile Commissioner within due date specified in HYN 2003.

We, the transferor and transferee mills agree with the above arrangement and request you to kindly issue us the registration letter for transfer of above H.Y.P.O. of above transferor mill.

We, further certify that the particulars furnished above are true and correct to the best of our knowledge and belief. We fully understand that, if any of the information furnished above is found incorrect at any point of time, the registration letter issued by the jurisdictional Regional Office of the Textile Commissioner shall stand null and void without prejudice to any action that may be initiated against us severally or jointly, by the office of the Textile Commissioner.

Thanking you.

Yours faithfully,

Signature (with date) of Proprietor/Partner/
Managing Director/Director/Authorised
Signatory of transferee mill (with full address
and Phone No. of the Mill).

Signature (with date) of Proprietor/Partner/
Managing Director/Authorised
Signatory of transferor mill (with full address
and Phone No. of the Mill)

CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT/COST ACCOUNTANT

We certify that the above information furnished by the transferor and the transferee mills tally with the Central Excise documents and other relevant records maintained by them.

Signature (with date) of the

Signature (with date) of the

Chartered Accountant/Cost Accountant
of TRANSFEROR mill.

Chartered Accountant/Cost Accountant
of TRANSFEREE Mill.

(with Name & Enrolment No. and Seal)

(with Name & Enrolment No. and Seal)